न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/458

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

भंवर लाल आत्मज रामाजी जाति धाकड निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 24.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में सेटलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 14/115 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है । उक्त भूमि में प्रतिवादी द्वारा सेटलमेंट कर दिया गया जिसमें उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 119 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.02 कुल किता 04 रकबा 1.04 हैक्टर कायम किये गये । वादी के खाते में पूर्व में 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि दर्ज थी किन्तु बाद सेटलमेंट वादी के खाते में 1.04 हैक्टर यानि 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज कर वादी के खाते में 0.09 हैक्टर भूमि की कमी कर दी गई जबकि वादी के खाते में बाद सेटलमेंट 1.13 हैक्टर भूमि दर्ज करनी चाहिए थी । इस प्रकार वादी के खाते में 0.09 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी गई । वादी के खाते में कम दर्ज किये गये रकबे की पूर्ति करवाने का अधिकारी है क्योंकि मौके पर वादी 1.13 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद में आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.04

हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 1.04 हैक्टर के स्थान पर कुल रकबा 1.13 हैक्टर दर्ज किया जाकर वादी के खाते में रकबा पूर्ति कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की अपील हेतु स्वीकृति के प्राप्त होने पर दिनांक 17.08.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खाते में आराजी खसरा नम्बर 119, 121, 124, 125, 541, 604 कुल 06 किता की 4.80 हैक्टर आराजी स्थित है जो सेटलमेंट से पूर्व की आराजी के बराबर है । उक्त तथ्य तदस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कवेल मात्र आराजी खसरा नम्बर 119, 121, 124, 125 कुल 04 किता की 1.04 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में ही सेटलमेंट की दुरूस्ती होना माकर वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट ग्राम भीमपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.09 हैक्टर पर काबिज काश्त नहीं है और न ही उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट की आराजी को कम करके कायम की है । अधीनस्थ न्यायाल ने बिना किसी आधार एवं साक्ष्य के वर्णित आराजी खसरा नम्बर 122 पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना मान लिया जबकि आराजी खसरा नम्बर 122 पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे पर कायमी तनकीयात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में सेटलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 14/115 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 119 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.02 कुल किता 04 रकबा 1.04 हैक्टर कायम किये गये । वादी रेस्पोडेन्ट के खाते में पूर्व में 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि दर्ज थी किन्तु बाद सेटलमेंट वादी रेस्पोडेन्ट के खाते में 1.04 हैक्टर यानि 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज कर वादी रेस्पोडेन्ट के खाते

में 0.09 हैक्टर भूमि की कमी कर दी गई जबकि वादी रेस्पोडेन्ट के खाते में बाद सेटलमेंट 1.13 हैक्टर भूमि दर्ज करनी चाहिए थी । इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट के खाते में 0.09 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी गई । वादी रेस्पोडेन्ट के खाते में कम दर्ज किये गये रकबे की पूर्ति करवाने का अधिकारी है क्योंकि मौके पर वादी रेस्पोडेन्ट का 1.13 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.12.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. रेस्पोडेन्ट के खाते में आराजी खसरा नम्बर 119, 121, 124, 125, 541, 604 कुल 06 किता की 4.80 हैक्टर आराजी स्थित है जो सेटलमेंट से पूर्व की आराजी के बराबर है । उक्त तथ्य तदस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कवेल मात्र आराजी खसरा नम्बर 119, 121, 124, 125 कुल 04 किता की 1.04 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में ही सेटलमेंट की दुरूस्ती होना माकर वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट ग्राम भीमपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.09 हैक्टर पर काबिज काश्त नहीं है और न ही उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट की आराजी को कम करके कायम की है । अधीनस्थ न्यायाल ने बिना किसी आधार एवं साक्ष्य के वर्णित आराजी खसरा नम्बर 122 पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना मान लिया जबकि आराजी खसरा नम्बर 122 पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा होना साबित नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.12.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करे कि आस–पास के किस खसरा नम्बर का रकबा बढाया, घटाया गया है उसके पश्चात् उक्त रिपोर्ट के आधार पर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे । पक्षकारान दिनांक 11.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा